न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 263/2015

रामचन्द्र पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
–रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ 10.07.2007

उपस्थिति–
श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 28-6-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 10.07.2007 से आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार प्रार्थी के धारण की आराजी चक 92.600 आर.डी.एल. के प.नं. 126/27 के कि.नं. 20/.253, 21/.087 , प. नं. 126/19 कि.नं. 11 ता 25/3.795 कुल 4.135है0 नहरी भूमि वर्तमान आरक्षित मूल्य पर पुख्ता आवंटन करने के आदेश दिये। इसके साथ शेष प. नं. 126/28 में 7.00 विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने से एवं प.नं. 126/20 का कि.नं. 1, 10, 11, 19, 22 में 5.00 विवादित होने से कुल 12.00 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन नहीं किया एवं प.नं. 126/27 का कि.नं. 6, 7, 11 ता 15, 18, 19, 21, 22, 23 में 11 बीघा 13 बिस्वा व प.नं. 126/20 के कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 18 में 15.00 बीघा कुल 26.13 बीघा टी.सी. खारिज की जाकर अधिशेष घोषित करने के आदेश दिये।

(A) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सही पारित नहीं किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है व बतौर टी.सी. रिकार्ड में दर्ज है। अपील देरी से पेश करने के सम्बन्ध में अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। दफा 5 के प्रा.पत्र में देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये हैं। अतः अपीलांट का दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि चक 92.600 आर.डी.एल. के प.नं. 126/28 के कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 11 के 1.771है0 रकबा को विशेष आवंटन में मानकर आवंटन नहीं किया, की हद तक फैसले को निरस्त कर उक्त रकबा पुख्ता आवंटन किया जावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील लगभग 8 वर्ष पश्चात पेश की है। अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

(a) अपीलांट ने बहस में अपील में वर्णित कथनों को दोहराया व विशेष बहस नहीं की, ना ही कोई नजीर पेश की तथा यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वांछित रकबा प.नं. 126/28 का 7 बीघा जोकि विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1988 से ही आरक्षित है वह किसी प्रकार एवं किन नियमों के तहत उन्हें कमी पूर्ति में सामान्य आवंटन टी.सी. से पुख्ता कर दिया जावे।

(b) चूंकि अपीलांट का कथन है कि उसका उक्त रकबे पर काश्त व कब्जा है व बतौर टी.सी. रिकार्ड में दर्ज है। किन्तु वे यह स्पष्ट नही कर सकें कि वर्ष 1988 से अब तक उन्होंने क्या कार्यवाही या प्रयास किये? यह सामान्य उपधारणा व नियम है कि रकबा विशेष आवंटन सूची में शुद्ध आराजी राज ही होता है। ऐसे रकबे को टी.सी आवंटी को कमीपूर्ति में आवंटन नहीं किया जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(c) उक्त वांछित रकबा वर्ष 1988 में ही विशेष आवंटन हेतु गजट नोटिफिकशन हो चुका है, तत्पश्चात 1988 से 10.07.2007 तक आक्षेपित उपखण्ड अधिकारी का आदेश जिसमें कि प्रार्थी को टी.सी. से पुख्ता आवंटन करने के दौरान तथा 10.07.2007 के उक्त आदेश के बाद भी 17.12.2015 को अपील करने के बीच अत्याधिक समय व्यतीत हो चुका है जिसका अपीलार्थी ने कोई सन्तुष्टि परक कारण, आधार या औचित्य प्रस्तुत नहीं किये, जबकि यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटन रिपोर्ट तहसील व फोटोफार्म में दर्ज तफसील भूमि के आधार पर ही किया जाता है।

(d) हम पैरोकार राज के इस कथन से सहमत है कि अपील अत्याधिक विलंब से एवं बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है और यह भी कि उक्त वांछित रकबा वर्तमान में वर्ष 1988 से ही विशेष आवंटन हेतु आरक्षित हे जिसे अपीलांट की वांछा के अनुसार आवंटित नहीं किया जा सकता।

ऐसे विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का विशेष आवंटन में ही विहित प्रकियानुसार सशुल्क आवंटन किये जाने के प्रावधान है।

(e) उक्त विवेचन से यह अपील सारहीन , आधारहीन पाये जाने से निरस्त की जाना उचत है एवं अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2007 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई गुजांइश नहीं है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर